पुस्तकालय

(2)

3152
13/4/2011

सत्यमेव जयते

असंशोधित

2 6 MAR 2011

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
वी०स०प्र०सं०......600......तिथि 3-5-11

गोपालगंज,समस्तीपुर,बेगुसराय,दरभंगा,मधुबनी,भागलपुर,शेखपुरा,लखीसराय,मुंगेर,खगड़िया मधेपुरा,कटिहार पूर्णिया,सुपौल और सहरसा में अवस्थित है। राज्यस्तरीय कार्यालय से इस परियोजना के सुदृढ़ीकरण एवं मूल्यांकन भी किया जाता है,पिछले पांच वर्षों में इस परियोजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार से राशि भी कर्णांकित की गयी है:-वर्ष 2006-07 में 6.50लाख रू0,वर्ष 2007-08 में 109 लाख रू0,वर्ष 2008-09 में 250 लाख रू0,2009-10 में 399 लाख रू0 और वर्ष 2010-11 में 1138.23 लाख रू0 यानी इस परियोजना से पूरे दियारा क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्यक्रम कार्यान्वित की जा रही है।अलग से दियारा विकास बोर्ड गठन गठित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें?

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार अपना संकल्प वापस लेंगे?

श्री सतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय 25 जिला की बात है। दियारा विकास बोर्ड का गठन होना चाहिए लेकिन माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करें, मैं वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रम संख्या- 51</u>

श्री दिनकर राम: अध्यक्ष महोदय,यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत बथनाहा में 30 बेडेड रेफरल अस्पताल का निर्माण करावे।

श्री अश्विनी कुमारचौबे(मंत्री): महोदय,राज्य सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के तर्ज पर 398 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।राशि राज्य स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा चुका है, जिसमें प्रश्नगत स्वास्थ्य केन्द्र, बथनाहा भी सम्मिलत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बथनाहा 30 शय्या वाले अस्पताल में उत्क्रमित होने पर रेफरल अस्पताल के समरूप हो जायेगा। (क्रमश:)

टर्न.31/26.3.2011/बिपिन

श्री अश्विनी कुमार चौबे,मंत्री:क्रमश: स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या466(12) दिनांक 19.5.2010 के द्वारा भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम का गठन किया गया है जिसके माध्यम से भवन निर्माण जीर्णोद्धार/उत्क्रमण का कार्य कराया जाएगा ।

अत: मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वह अपना प्रस्ताव कृपया वापस ले लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य दिनकर राम जी अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे ?

श्री दिनकर राम: जी सर । महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं और अपना प्रस्ताव सभा की सहमति से वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री दिनकर राम जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक 52 (श्री तारकिशोर प्रसाद)</u>

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कटिहार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करावे ।'

श्री भीम सिंह,मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, सुशासन के कार्यक्रम 2011-15 के अन्तर्गत प्रत्येक प्रमण्डल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जानी है । अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कम-से-कम 10एकड़ भूमि की आवश्यकता है । भूमि उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त पूर्णिया प्रमण्डल को पत्र दिया जा चुका है । उल्लेखनीय है कि पूर्णिया प्रमण्डल जिसके अन्तर्गत कटिहार जिला भी है, में आयुक्त द्वारा चिन्हित एवं विभाग को अंतिम रूप से हस्तान्तरित भू-खंड पर अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।

महोदय, सुशासन के कार्यक्रम में शामिल है कि राज्य के प्रत्येक प्रमण्डलों में हम कम-से-कम एक अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हम करेंगे । कटिहार भी पूर्णिया प्रमण्डल में है । अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी महोदय, जो एम0एस0डी0पी0 कार्यक्रम है, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत पूर्णिया में अल्पसंख्यक बहुलता है इसलिए उस प्रोग्राम के तहत भी पूर्णिया में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जानी है । तो इस तरह से इस प्रमण्डल में दो-दो अभियंत्रण महाविद्यालयों की स्थापना हम भविष्य में करने जा रहे हैं ! इस आश्वासन के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी अपना प्रस्ताव वापस लेंगें ?

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।